ELIZABETHTOWN GAS

The Customer Bill of Rights is available in additional languages on the Elizabethtown Gas website at **www.elizabethtowngas.com/customer-rights**.

La Declaración de Derechos del Cliente está disponible en idiomas en el sitio web de Elizabethtown Gas en **www.elizabethtowngas.com/customer-rights**.

એલિઝાબેથટાઉન ગેસની વેબસાઈટ **www.elizabethtowngas.com/customer-rights** પર અધિકારોનું કસ્ટમર બિલ અતિરિક્ત ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે.

कस्टमर बिल ऑफ राइट्स एलिज़ाबेथटाउन गैस वेबसाइट **www.elizabethtowngas.com/customer-rights**पर अतिरिक्त भाषाओं में उपलब्ध है

कस्टमर बिल ऑफ राइट्स

न्यू जर्सी बोर्ड ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़ **(BPU)** ने हाल ही में सभी यूटिलिटी ग्राहकों के लिए कस्टमर बिल ऑफ राइट्स को अपडेट किया है, जो **16** मार्च, **2023** से प्रभावी हो जाएगा। कृपया ग्राहकों के अधिकारों को अच्छी तरह पढ़ लें और अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो **Elizabethtown Gas** से **1.800.242.5830** या **BPU** से **1.800.624.0241** पर संपर्क करें।

1. अगर आप योग्य आवेदक है, तो आपको सुरक्षित, पर्याप्त और उपयुक्त यूटिलिटी सेवा पाने का अधिकार है।

2. यूटिलिटी सेवा प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यकता से अधिक जमा राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

3. यदि आप आवासीय बिजली, गैस, जल और/या अपशिष्ट जल से जुड़ी यूटिलिटी के ग्राहक है, तो आपको अपनी यूटिलिटी कंपनी के साथ "बजट बिलिंग योजना" बनाने का अधिकार है। यह एक ऐसी योजना है जो आपको एक निर्धारित अवधि के लिए, हर महीने एक निर्धारित राशि का भुगतान करने देती है।

4. अगर आपका कोई बिल बकाया है, जिसका भुगतान आप नहीं कर सकते, तो आपके पास अपनी यूटिलिटी कंपनी के साथ हर वर्ष कम से कम एक बार "देरी से भुगतान करने" का अधिकार होता है। यह योजना आपकी वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखती है और आपको बकाया बिल का भुगतान करने देती है, बशर्ते कि सभी नए शुल्कों का भुगतान करते रहें।

5. आपके पास यूटिलिटी कंपनी के साथ अपने यूटिलिटी बिल पर लगाए गए किसी शुल्क पर असहमति जिताने का अधिकार होता है। जब तक आप ऐसी राशि का भुगतान करते रहते है, जिस पर कोई असहमति नहीं होती है, तब तक आपकी यूटिलिटी सेवा को बंद नहीं किया जा सकता, इस दौरान यूटिलिटी कंपनी उस विवादास्पद शुल्क की जाँच-पड़ताल करती है।

6. अगर आपको लगता है कि आपकी मीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपके पास हर 12 महीनों में एक बार अपनी यूटिलिटी कंपनी द्वारा अपने मीटर का निःशुल्क परीक्षण कराने का अधिकार है। जब यूटिलिटी कंपनी परीक्षण कर रही हो, तो आप BPU कर्मचारी को वहाँ उपस्थित होने का अनुरोध कर सकते है।

7. इससे पहले कि आपकी यूटिलिटी कंपनी भुगतान प्राप्त न होने के कारण आपकी यूटिलिटी सेवा को बंद करे, आपके पास अपनी यूटिलिटी कंपनी से कम से कम 10 दिन पहले लिखित सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। अगर आप अपनी बकाया राशि का उचित भुगतान नहीं करते है या आप अपनी यूटिलिटी कंपनी की भुगतान योजना को स्वीकार नहीं करते है, तो इस अवधि के बाद आपकी सेवाओं को बंद किया जा सकता है।

8. भुगतान न होने के अलावा अन्य कारणों से आपकी सेवा को निलंबित या बंद किए जाने से पहले भी आपको अपनी यूटिलिटी कंपनी से उचित पूर्व सूचना पाने का अधिकार होता है।

9. यूटिलिटी कंपनी सोमवार से गुरूवार के बीच, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक यूटिलिटी सेवाओं को रोक या बंद नहीं कर सकती, बशर्ते कि सुरक्षा से जुड़ी कोई इमरजेंसी न हो।

10. यूटिलिटी कंपनी शुक्रवार, शनिवार, रविवार को और न्यू जर्सी राज्य की छुट्टी के दिन या न्यू जर्सी राज्य की छुट्टी के एक दिन पहले या आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी होने पर यूटिलिटी सेवाओं को रोक या बंद नहीं कर सकती, बशर्ते कि सुरक्षा से जुड़ी कोई इमरजेंसी न हो।

11. अगर आप ग्राहक के तौर पर विंटर टर्मिनेशन प्रोग्राम के तहत सुरक्षा के लिए योग्य है, तो आपके पास 15 नवंबर से 15 मार्च तक यूटिलिटी सेवाएँ पाने का अधिकार है। आपको इस सुरक्षा के तहत अपनी यूटिलिटी कंपनी को अपनी पात्रता के बारे में अवश्य सूचित करना चाहिए।

12. अगर यूटिलिटी कंपनी एक ऐसी इमारत में सेवा बंद करने की योजना बना रही है, जिसमें कई परिवार रहते है, तो ऐसे में आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यूटिलिटी कंपनी को यह सूचना या तो किसी सार्वजनिक क्षेत्र में पोस्ट करनी चाहिए और/या मकान के निवासी के रूप में आपको भेजनी चाहिए।

13. अगर आपके यूटिलिटी बिल में दिखाया गया बिजली, गैस, जल या अपशिष्ट जल का बिल बहुत ज़्यादा या संदिग्ध दिखाई देता है, तो आपके पास आपकी ओर से यूटिलिटी कंपनी से "डायवर्स डायवर्जन ऑफ सर्विस" की जाँच कराने का अधिकार होता है।

14. जब तक आप आपको मिली यूटिलिटी सेवाओं के शुल्कों को भुगतान करते रहते है, तब तक आपके पास यूटिलिटी सेवाएँ पाते रहने का अधिकार होता है। यूटिलिटी कंपनी आपको अतिरिक्त शुल्क के आधार पर आपकी यूटिलिटी सेवा को बंद करने की धमकी देने वाला नोटिस नहीं भेज पाएगी।

15. जब आप अपना खाता बंद कर देते है और अंतिम बिल का भुगतान हो जाता है, तो आपके पास अपनी जमा राशि वापस पाने का अधिकार होता है। यूटिलिटी कंपनी को आपसे पूछना चाहिए कि आपके खाते में आपका डिपॉज़िट क्रेडिट के तौर पर लागू किया जाए या अलग चेक के तौर पर।

16. आपसे आपके आवासीय ग्राहक यूटिलिटी बिल पर देरी से भुगतान करने का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।